भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 895

दिनांक 27 जुलाई, 2026 को उत्तरार्थ

.....

नदी जल प्रदूषण

895. श्री गोविंदभाई लालजी भाई धोलकिया:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नदियों के जल को पेय योग्य बनाने, इसकी शुद्धता और इसके प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल गुणवत्ता निगरानी कर रहा है;

(ख) देश में कितने स्थानों पर यह कार्य चल रहा है;

(ग) गुजरात में कितने स्थानों पर यह निगरानी की जा रही है; और

(घ) सरकार गुजरात राज्य में नदियों को प्रदूषण मुक्त रखने हेतु राज्य सरकार के साथ मिलकर क्या कदम उठा रही है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क) और (ख): केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) और प्रदूषण नियंत्रण समितियों (पीसीसी) के सहयोग से, 'राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम' (एनडब्ल्यूक्यूएमपी) के तहत देश भर में 4922 स्थलों पर जल की गुणवत्ता की निगरानी करता है; जिसमें नदियों पर स्थित 2260 स्थल शामिल हैं।

राष्ट्रीय जल गुणवत्ता निगरानी कार्यक्रम (एनडब्ल्यूक्यूएमपी) के तहत जल की गुणवत्ता के डेटा का उपयोग बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड (बीओडी) कंसंट्रेशन के आधार पर पीआरएस की पहचान करने के लिए किया जाता है।

(ग): केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) से प्राप्त सूचना के अनुसार, वर्तमान में 187 स्थलों पर जल की गुणवत्ता की निगरानी की जाती है, जिसमें गुजरात में एनडब्ल्यूक्यूएमपी के तहत नदियों के 65 स्थल शामिल हैं।

(घ): प्रदूषण को रोकने और नियंत्रित करने के लिए, सीवेज और औद्योगिक बहिःस्राव को जल निकायों या भूमि में छोड़ने से पहले, उनका आवश्यक उपचार सुनिश्चित करना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) और स्थानीय निकायों का प्राथमिक उत्तरदायित्व है। गैर-गंगा बेसिन वाले क्षेत्रों में देश में नदियों के संरक्षण के लिए, यह मंत्रालय 'राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना' जैसी

केंद्र-प्रायोजित योजनाओं के तहत वित्तीय और तकनीकी सहायता देकर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता कर रहा है।

एनआरसीपी के तहत, गुजरात की तीन नदियों नामतः मिंधोला, साबरमती और तापी के संरक्षण के लिए प्रदूषण कम करने वाली योजनाओं को कुल 1,87,529 लाख रुपये की लागत की मंज़ूरी दी गई थी। इन योजनाओं के कार्यान्वयन से, गुजरात के विभिन्न कस्बों में 682.44 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) की सीवेज उपचार क्षमता तैयार हुई है। इसके अतिरिक्त, 25 एमएलडी की अतिरिक्त सीवेज उपचार क्षमता बनाने की परियोजना को भी मंज़ूरी दी गई है।

*****